संदर्भ: आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/046/03/2022 7 मार्च 2022

प्रति,
सभी बीमाकर्ता (ईसीजीसी और एआईसी को छोड़कर)

**विषयः उभयलिंगी (ट्रैंसजेंडर) व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के जोखिम-अंकन दर्शन का प्रकटीकरण**

1. आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनके अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता न केवल मानक जीवनों के लिए बल्कि अवमानक जीवनों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने से संबंधित दृष्टिकोण और पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक स्वास्थ्य बीमा जोखिम-अंकन नीति विकसित करे। उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के उपबंध की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र (संदर्भ सं. आईआरडीएआई/ एचएलटी/ विविध/सीआईआर/129/06/2020 दिनांक 2.6.2020) का भी अवलोकन करें जो निर्योग्यता से युक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), एचआईवी/ एड्स एवं मानसिक अस्वस्थता की बीमारियों से प्रभावित लोगों को बीमा कवरेज देने के जोखिम-अंकन दर्शन का प्रकटीकरण करने से संबंधित है जिसके द्वारा सभी बीमाकर्ताओं को अपनी संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर जनता की ऊपर संदर्भित श्रेणी को बीमा कवरेज देने के संबंध में जोखिम-अंकन दर्शन और दृष्टिकोण प्रकट करने का निदेश दिया गया है।

3. उपर्युक्त के अनुरूप, सभी बीमाकर्ताओं को अब यह भी अनुदेश दिया जाता है कि वे उभयलिंगी (ट्रैंसजेंडर) व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने के संबंध में जोखिम-अंकन दर्शन और दृष्टिकोण के पहलुओँ को अपनी संबंधित वेबसाइटों पर प्रकट करें, ताकि लक्ष्यीकृत लोग उस दर्शन के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें जो इस संबंध में बीमाकर्ता अपनाते हैं।

4. सभी बीमाकर्ताओं (जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता) को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का तत्काल अनुपालन करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

(डीवीएस रमेश)
महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)